सं0-18/2017/466/38-6-17-11(एसआरएलएम)/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक-12 जुलाई, 2017**

विषयः- मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत प्रदेश में 10783 ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अगवत कराना है कि भारत सरकार द्वारा मिशन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 50,000 ग्रामों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निर्गत भारत सरकार के पत्र सं0-डीओ#पी-16018/4/2016-पी एण्ड पी(351050), दि0-09.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) में उत्तर प्रदेश हेतु 10783 ग्रामों को चिन्हित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

2- संदर्भित पत्र के प्रस्तर-3 में ग्रामों के चयन हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण भी किया गया है। उल्लेख निम्नवत है:-

- Open Defecation Free GP.
- DAY NRLM SHG GP.
- Mission Water Conservation GPs.
- Sansad Adarsh Gram Yojana GP.
- Rurban Cluster GP.
- Crime Free/Dispute free GP.
- Any other State selected GP for special coverage.
- Award winning GP Pradhans.

उपर्युक्त मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जाना है। ग्रामों का चयन इस प्रकार किया जाए कि मिशन अन्त्योदय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

3- मिशन अन्त्योदय योजना का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क संलग्न कर इस आश्य से प्रेषित है कि इसका भलीभांति अध्ययन कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ग्रामों का चयन दि0-30.07.2017 तक प्रत्येक स्थिति में कर लिया जाए और ग्राम पंचायतों की सूची विकास खण्डवार आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध करायी जाए। भारत सरकार की अपेक्षानुसार इस प्रकार चिन्हित गांवों को 02.10.2019 तक गरीबी मुक्त गांव(Poverty Free Villages) के रूप में विकसित किया जाए। चिन्हित गांवों को विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान(जी0पी0डी0पी0) भी तैयार किया

http://grasanadesh.up.nic.in

जाना होगा, साथ ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं में इन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता भी प्रदान की जाएगी।

अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपुर्यक्त संदर्भित पत्र योजना के ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तथा उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर सूचियां निर्धारित तिथि तक आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

सं0-18/2017/466(1)/38-6-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को इस आश्य से कि जनपदों से ग्रामों की सूची प्राप्त कर कृपया योजना के सफल संचालन हेतु अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

गोविन्द राजू एन.एस.
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in